माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर, जिला ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कंमाक- 2018 निगरानी – 4105/2018/सतना/भू-27.

1. बेबा रामदुलारी पत्नि श्री राजबहादुर सिंह,

2. अतुल सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह,

निवासीगण- ग्राम करही, तहसील- रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र.

.......निगरानीकर्तागण

दिनांक 2.7.18 को श्री पल्लव त्रिपाठी अभि० द्वारा प्रस्तुत।
2.7.18
SD
पे० दि० 10.7.18

बनाम

1. गणेश प्रताप सिंह पुत्र श्री अयोध्या सिंह बघेल, निवासी- ग्राम करही, तहसील-रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

....रेस्पोडेन्ट

2. दीपक सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह,

3. विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री लल्ला सिंह बघेल,

4. अनुराग सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह,

5. बेवा विजया सिंह पत्नि श्री बिरेन्द्र सिंह

6. दिलीप सिंह पुत्र श्री बीरेन्द्र सिंह,

7. धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लल्ला सिंह

8. शिवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह

9. रंगबहादुर सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह बघेल,

समस्त निवासीगण- ग्राम करही, तहसील- रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र.

.....तरतीवी <u>पक्षकारगण/परफोरमा</u> रेस्पोडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2018 प्रकरण कंमाक-373/अपील/17-18 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा मध्य प्रदेश उक्त आदेश से विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में अधीनस्थ दोनो न्यायालयो द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया।

सम्माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है कि :-

1. यहकि, प्रकरण का संक्षेप में तथ्य यह है, कि रेस्पोडेन्ट कंमाक-1 के द्वारा राजस्व निरीक्षक रामपुर बघेलान के पंजी कंमाक-168 में पारित आदेश 04.04.78 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जहॉ पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अपील समयावधि की जिस पर उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 02.05.2015 को बिलम्ब माफी का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया और प्रकरण को अंतिम तर्क हेत नियत कर दिया गया, जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो निगरानी प्रकरण कंमाक-1175/2/2015 में पारित आदेश 31.10.2017 को उत्तरवादी की निगरानी निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.05.2015 को स्थिर रखा। राजस्व मण्डल से प्रकरण प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2018 को रेस्पोडेन्ट क्रंमाक-1 की अपील निरस्त की गई।

2. यहकि, उक्त निरस्ती आदेश से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट कंमाक-1 द्वारा विद्वान अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील कंमाक-373/अपील/17-18 प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील निगरानीकर्तागण की अनुपस्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निराकृत की गई और उक्त के

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(4)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4105/2018/सतना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
10/06/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पल्लव त्रिपाठी अनुपस्थित हैं। अनावेदक अधिवक्त श्री डी.एस. चौहान उपस्थित। प्रकरण में संपूर्ण अभिलेख प्राप्त हो चुका है। आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण तर्क श्रवण नहीं हो सके। विगत आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा नियमित उपस्थिति नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी को चलाने में कोई रुचि नहीं हैं। ऐसी दशा में आवेदक अधिवक्ता की अरुचि के कारण यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	